17-10-19 पत्रावली पेश हुई प्रा० पक्ष का मुल वाद

वादीगण मय इनके अधिवक्ता की अदम हाजरी व अदम पेरवी में खारीज होने से प्रा० पक्ष का चलाना आवश्यक नही है। अत: प्रा० पक्ष फैसला में शुमार होकर संलग्न मुल वाद रहे तथा पत्रावली नम्बर से कम हो।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

Scanned by CamScanner